भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

**राज्यसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3180**

उत्तर देने की तारीख 22.03.2018

**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का विलयन**

3180. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा संबंधी वर्तमान पांच स्वतंत्र केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का विलय करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन योजनाओं का विलयन कब तक कर दिया जाएगा?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री जसवंतसिंह भाभोर)

(क) से (ग): मंत्रालय की योजनाओं के युक्तिकरण के भाग के रूप में, वर्ष 2018-19 के बाद से “जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना”, “अजजा बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास” और ‘जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र’ के उपाय को ‘जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान’ की योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा बालिकाओं के बीच शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के उपाय को भी युक्तिसंगत बनाया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत शामिल किया गया है। इन योजनाओं के विलयन की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

**\*\*\*\***